

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

पत्र क्र0 लेखा भुगतान / अग्रिम / 2016 / 294

सागर, दिनांक 16.09.2016

// कार्यालय आदेश //

केन्द्र सरकार के नियमानुसार विश्वविद्यालय के स्थायी पात्र कर्मचारियों को ब्याज पर निम्नलिखित अग्रिम राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यह अग्रिम वित्तीय बर्ष 2016-17 में एक बार ही भुगतान किया जायेगा।

क्र	विवरण अग्रिम लाभ हेतु	कर्मचारियों हेतु पात्रता	अधिकतम देय राशि
1.	वाहन खरीदने हेतु		
	क. मोटरकार	वेतन बैंड में वेतन रु.19530/- या अधिक	रु1,80,000/-
	ख. मोटरसाइकिल / स्कूटर	रु.8560/-के वेतन बैंड में वेतन या अधिक	रु.30,000/-
2.	कम्प्यूटर खरीदने हेतु		
	कम्प्यूटर	वेतन बैंड में वेतन रु.8560/- या अधिक	रु. 30,000/-

अतः समस्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराना है कि जिन्हें उपरोक्तानुसार अग्रिम चाहिए है वे निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन अग्रिम स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा शाखा में दिनांक 10.10.2016 तक प्रस्तुत कर सकते हैं इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आदेशानुसार

१०/१६१९
वित्ताधिकारी

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

प्रतिलिपि :-

1. समस्त अधिष्ठाता प्रशा. एवं स्कूल
2. समस्त विभागाध्यक्ष/अधिकारी एवं कर्मचारी
3. वित्त अधिकारी/सी.ओ.ई/पुस्तकालय सहायक
4. प्रभारी वेतन/बजट/भुगतान/अवकाश/भविष्य निधि/एफ.बी.एल.आई.एस.
5. कुलपति जी के सचिव को कुलपति जी को सूचनार्थ
6. कुलसचिव जी के निजी सहायक
7. जनसंपर्क अधिकारी/मीडिया अधिकारी
- ✓ 8. समन्यवयक वि.वि.बेव साईट सेल को वि.वि.की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु
9. विभागीय/व्यक्तिगत नस्ती

१०/१६१९

वित्ताधिकारी

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)

प्रपत्र-VI

(नियम-21 के नीचे भारत सरकार का निर्णय (1) देखें)

मोटर कार/मोटर साइकिल/व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीदी के लिए अग्रिम का आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पदनाम :
3. जिला एवं स्टेशन :
4. मूल वेतन : ₹.....
5. मोटर कार/मोटर साइकिल/व्यक्तिगत कम्प्यूटर का अनुमानित मूल्य : ₹.....
6. आवश्यक अग्रिम राशि : ₹.....
7. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की तिथि :
या संविदा अधिकारी होने पर संविदा समाप्त होने की तिथि :
8. अग्रिम चुकाने हेतु किश्तों की संख्या :
9. क्या पूर्व में इसी उद्देश्य से अग्रिम लिया जा चुका है। यदि हाँ :
(i) अग्रिम आहरण की तिथि
(ii) अग्रिम की राशि और/या बकाया ब्याज, यदि कोई हो : ₹.....
10. क्या खरीदना चाह रहे हैं :
क. नई या पुरानी मोटर कार/मोटर साइकिल/व्यक्तिगत कम्प्यूटर.....
ख. यदि सरकारी कर्मचारियों से आधिकारिक लेनदेन करने वाले व्यक्ति से मोटर कार/मोटर साइकिल/व्यक्तिगत कम्प्यूटर खरीदना चाह रहे हैं तो क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में मंजूरी ली गई है?
11. क्या प्राधिकारी अवकाश पर हैं या जाने वाले हैं?
क. अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि
ख. अवकाश समाप्त होने की तिथि
.....
.....
.....
12. क्या कोई बातचीत या प्रारंभिक जाँच की गई है ताकि अग्रिम आहरण तिथि से एक माह के भीतर मोटर कार/मोटर साइकिल/व्यक्तिगत कम्प्यूटर की डिलीवरी प्राप्त की जा सके?
13. क. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनायें पूर्ण व सत्य हैं।
ख. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कोई भी ऐसी मोटर कार/मोटर साइकिल/व्यक्तिगत कम्प्यूटर की डिलीवरी प्राप्त नहीं की है जिसके लिए अग्रिम का आवेदन किया गया है, यह भी कि उपर्युक्त वस्तु की खरीद एवं अंतिम भुगतान के पूर्व बातचीत करँगा तथा अग्रिम आहरण तिथि से एक माह के भीतर उस वस्तु को कब्जे में ले लूँगा।
.....
.....
.....

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर :

पदनाम :

विभाग/कार्यालय का नाम :

रवाता ५०

वचनपत्र

मैं (नाम) (विभाग का नाम)

एतदद्वारा यह वचन देता हूँ कि—

1. मैं स्कूटर/मोटर कार/मोटर साइकिल/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम लेने का इच्छुक हूँ।
2. यदि मुझे अग्रिम स्वीकृत किया जाता है तो मैं वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति (31 मार्च, 2017) से पूर्व या मेरी बारी आने पर किसी भी समय अधिकतम अनुमतियोग्य अग्रिम राशि स्वीकार करूँगा।
3. मैं स्कूटर/मोटर कार/मोटर साइकिल/व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद हेतु आवश्यक राशि (अग्रिम के अतिरिक्त) के इंतजाम एवं अग्रिम राशि प्राप्ति के एक माह के भीतर सामान की डिलीवरी सुनिश्चित होने के बाद ही अग्रिम राशि का आहरण करूँगा।
4. मैं स्कूटर/मोटर कार/मोटर साइकिल/व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद की औपचारिकताओं को अग्रिम आहरण के एक माह के भीतर पूरा करूँगा।
5. यदि मेरे या बिक्री एजेंसी के नियंत्रण के बाहर की किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश स्कूटर/मोटर कार/मोटर साइकिल/व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद एक माह के भीतर संभव नहीं है तो मैं या तो सम्पूर्ण राशि एकमुश्त वापस कर दूँगा या फिर एक माह की अवधि की समाप्ति के अतिरिक्त अधिकतम एक माह का समय और मार्गूँगा। यदि समय सीमा बढ़ाने की अनुमति मिल जाती है तो मैं समस्त आवश्यक दस्तावेज जमा करने सहित सभी औपचारिकतायें इस बढ़ी हुई अवधि में पूरी कर लूँगा। यदि क्रय प्रक्रिया तब भी पूरी नहीं हो पाती है तो मैं राशि तत्काल वापस कर दूँगा।
6. मेरे पास मेरे नाम पर कोई स्कूटर/मोटर कार/मोटर साइकिल/व्यक्तिगत कम्प्यूटर नहीं है।
7. मेरा मूल वेतन ₹..... है तथा अगले वेतन वृद्धि की तिथि..... है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

नाम (बड़े अक्षरों में):

पदनाम:

